रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 1989/आषाढ़ 12, 1911
No. 350] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 1989/ASADHA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1989

सा. का. नि. 668 (अ):—ऋण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य

सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा-शर्तें) नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1989 कहा जाएगा ।

(2) ये 1 जून 1988 के पहले दिन से प्रवृत्त होंगे ।

2. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा-शर्तें) नियम, 1987 (इसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के उप-नियम (2) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से अवनिवृत्त हुआ है या सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या बोर्ड का सदस्य रह चुका है या जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा से अथवा किसी संस्थान या प्राधिकरण, चाहे किसी नाम से उसे पुकारा जाए, की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो और जो पेंशन, अभिदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अभिदाय या अन्य रूप में सेवानिवृत्ति सुविधाएं प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो गया हो तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त हो रही पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अभिदाय या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति सुविधाएं, यदि कोई हैं, की सकल राशि कम कर दी जाएगी।"

व्याख्या: उपदान के समतुल्य पेंशन की राशि अध्यक्ष अथवा सदस्य के वेतन में से नहीं काटी जाएगी ।

[फा. सं. 4/8/88—आई. एफ. -II]

मनोज चन्द्र सत्यवादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1989

G.S.R. 668 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Cen

tral Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and other Members) Rules, 1987, namely :

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and other Members) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of June, 1988.

2. In the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and other Members) Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), for proviso to sub-rule (2) of Rule 3, the following proviso shall be substituted, namely :

"Provided that in the case of an appointment of a person as a Chairman who has retired as a judge of the Supreme Court or a High Court or in the case of an appointment of a person as a Member who has retired as a judge of a High Court or had been a Member of the Board, or has retired from service under the Central Government or a State Government or from the service of any institution or authority, by whatever name called, and who is in receipt of, or has become entitled to receive, any retirement benefits by way of pension, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairman or Member shall be reduced by the gross amount of pension, or employer's contribution to the Contributory Provident Fund, or any other form or retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him."

Explanation : Amount of pension equivalent of gratuity shall not be deducted from the pay of a Chairman or a Member.

[F. No. 4|8|88-9|F.II]

M. C. SATYAWADI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989